**न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–3, देवरिया।**

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1389/2026

CNR NO.UPDE010034322026

चन्दन चौरसिया उम्र 35 वर्ष पुत्र महेन्द्र चौरसिया
साकिन–कुईया, थाना भलुअनी, जिला देवरिया।

.....आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी

अपराध संख्या 105/2026
धारा 3/5A(1)/8(1) गोवध निवारण अधि०
व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम
थाना–भाटपाररानी, जिला देवरिया।

28.07.2026

**1.** जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। आवेदक/अभियुक्त चन्दन चौरसिया की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र अपराध संख्या 105/2026, धारा 3/5A(1)/8(1) गोवध निवारण अधि० व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना–भाटपाररानी, जिला–देवरिया के मामले में प्रस्तुत करते हुए स्वयं को जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी है। अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरुद्ध है।

**2.** आवेदक/अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

**3.** अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 15.07.2026 को थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार राय मय उ0नि0 जितेन्द्र कुमार यादव व हे0का0 विनय कुमार, का0 सौरभ सिंह द्वितीय, का० अजय मौर्या, का० दीपक मौर्या, का0 अजीत कुमार, का0 मोहन सरोज, रि०का० शशांक यादव, रि०का० सुजीत वर्मा व आरक्षी चालक स्वतंत्र सिंह शक्ति के मय सरकारी वाहन संख्या UP52AG0326 के, वास्ते तलाश वांछित वारन्टी व देखभाल क्षेत्र व रात्रि गश्त करते हुये फुलवरिया चौराहे पर चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन कर रहे थे। उसी समय जरिये आर.टी./डी.सी.आर. से सूचना प्राप्त हुई कि थाना लार की तरफ से एक पिकप वाहन, जो कि चेकिंग के दौरान बैरियर को धक्का देते हुए भाग रहा है, जिसमें कि गोवंश लादकर गोवध के लिये ले जाया जा रहा है। इस समय चनुकी पुल

की तरफ बढ़ रहा है तथा थाना लार की एक टीम जिसमें की उ0नि0 परवेज आलम, रि0का0 रोहित यादव, रि०का० अभिषेक कुशवाहा व हे0का0 चालक कृष्ण कुमार यादव मय सरकारी वाहन UP32EG2201 से उक्त वाहन का पीछा करते हुए आ रहे है। इस सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष मय हमराहियान व पूर्व से क्षेत्र में रवाना एक्शन मोबाइल में लगे 30 नि0 दुर्गेश बरनवाल से सम्पर्क कर मय हमराहियान फुलवरिया से चनुकी मार्ग पर पहुंचने हेतु सूचित करते हुए हम पुलिस वाले भेड़ापाकड़ चौराहे पर पहुंचे कि 30 नि0 दुर्गेश बरनवाल मय हमराहियान का0 प्रीतम कुशवाहा, का0 मुकेश यादव, रि०का० दुर्गेश यादव एक्शन मोबाइल सरकारी वाहन सं0 UP52AG0202 के मौजूद मिले। जिन्हे साथ लेकर हम सभी चनुकी तिराहे पर पहुंचे जहां पहले से ही 30 नि0 सरवर आलम व का0 सचिन सोनकर, रि०का० गुलाम वारिस, रि०का० मो० शाहिद पिकेट ड्यूटी पर चेकिंग में मौजूद हैं। आस पास ही उचित आड़ देखकर खुद को तथा वाहनों को छिपाते हुए लुक छिप कर उक्त वाहन के आने का इंतजार करने लगे कि एक पिकअप वाहन, जिसके पीछे लार पुलिस बल का वाहन लगा हुआ है, चनुकी पुल की ओर काफी तेज गति से आता हुआ दिखाई दिया। वाहन के करीब आने पर पुलिस वालों ने हिकमत अमली का प्रयोग करके बैरियर इत्यादि लगाकर वाहन को रोकने का प्रयास किया गया तो अपने आप को सभी तरफ से घिरा हुआ देखकर पिकप वाहन का चालक वाहन की दिशा मोड़ते हुए सोहगरा की तरफ मुड़ गया जहां पर बैरियर गिराते हुए आगे बढ़ रहा था कि एक ड्रम गाड़ी के आगे फंस गया जबकि पिछला चक्का बैरियर में लग कर फट गया। वाहन के रुकते ही वाहन चालक तथा बीच में बैठे दो व्यक्तियों को हमराहियों की मदद से मौके पर ही पकड़ लिया गया। जबकि दूसरी तरफ बैठा हुआ एक व्यक्ति कूदकर भागने लगा, जो कि कुछ दूर आगे जाने पर खुद को घिरता हुआ देखकर पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से लक्ष्य बनाकर अचानक फायर किया। अचानक हुई फायरिंग से पुलिस वाले सिखलाई के तरीकों का प्रयोग करते हुए बचाव की मुद्रा में आ गये एवं ललकारते हुए आत्मसमर्पण के लिये कहा गया तो भाग रहे बदमाश ने पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से मुड़कर पुनः फायर किया। जान जोखिम देख व बदमाश को पकड़ने के उद्देश्य से कर्तव्यपालन व आत्मरक्षार्थ पुलिस वालों ने बदमाश के कमर के नीचे निशाना करते हुए अपने बचाव में जवाबी फायरिंग में थानाध्यक्ष द्वारा एक फायर अपनी सरकारी पिस्टल से किया गया। तत्पश्चात भाग रहा व्यक्ति लड़खड़ाकर गिर गया। गिर हुए बदमाश को चारों तरफ से घर घार कर पकड़ लिया गया। नजदीक से देखा गया तो पकड़ गये व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगने से खून बर रहा है तथा आह–आह करके चिल्ला रहा है। चोट को गमछे से बांधकर रक्त बहना रोककर प्राथमिक उपचार किया गया। घायलशुदा व्यक्ति से नात पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो अपना नाम मो० मुन्ना उम्र करीब 38 वर्ष पुत्र मो० मुमताज निवासी हरिहास टोला, थाना हुसैनगंज, जिला सिवान (बिहार) होना बताया एवं पहने हुए पैन्ट से छः सौ रुपये बरामद हुआ, जो मौके पर ही अभियुक्त को वापस कर दिया

गया, तथा पर्याप्त टार्च व मोबाइल की रोशनी में देखा गया तो अभियुक्त के दाहिने हाथ के थोड़ी दूरी पर एक अदद तमंचा 0.315 बोर पड़ा हुआ है तथा हमराही गण की सहायता से दूढा गया तो एक अदद खोखा कारतूस 0.315 बोर पड़ा हुआ है तथा सरकारी पिस्टल से फायर किया गया 01 अदद खोखा कारतूस कुछ दूरी पर पड़ा हुआ है। इस बात की सूचना तत्काल जरिए दुरभाष कन्ट्रोल रूम, उच्च अधिकारीगण तथा फील्ड यूनिट को देते हुए उक्त व्यक्ति को अन्तर्गत धारा 109(1) बी.एन.एस. व 3/25/27 आयुध अधिनियम में हिरासत पुलिस में लेकर दवा इलाज हेतु थाना स्थानीय से उ.नि. राम अवध राम, हे०का० राज नारायण शुक्ला व का० वीरेन्द्र गोड़ को बुलाकर मय एक्शन मोबाइल सरकारी वाहन के मय मजरूबी चिट्ठी सीएचसी भाटपाररानी जनपद देवरिया के लिये रवाना किया गया। घटनास्थल को सुरक्षार्थ पीले टेप से घेर दिया गया। तत्पश्चात पकड़े गये अन्य तीनों व्यक्तियों का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पकड़े गये व्यक्तियों ने अपना नाम क्रमशः वाहन चालक 1. चंदन चौरसिया उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र महेन्द्र चौरसिया निवासी कुईया थाना भलुअनी, जनपद देवरिया, 2. मो० फैसल उम्र 32 वर्ष पुत्र मरगूब आलम निवासी रामनगर थाना लार जनपद देवरिया 3. अनवर अंसारी उम्र 38 वर्ष पुत्र अहमद अंसारी निवासी मटियरा जगदीश थाना लार जनपद देवरिया होना बताया तथा जामा तलाशी ली गयी तो मो० फैसल के पास से दो अदद मोबाइल क्रमशः नोकिया की–पैड तथा रेडमी 5 जी एंड्राइड काला रंग तथा चंदन चौरसिया के पास से एक अदद मोबाइल सैमसंग कम्पनी फिरोजी रंग के बरामद हुए। पकड़े गये व्यक्तियों से भागने का कारण पूछने पर माफी मांगते हुए कहने लगे कि साहब हम लोग छुट्ट्टा गोवंशीय पशुओं को इकट्ठा करके वध के लिये बिहार ले जाकर मण्डी में बेच देते हैं। जिसमें अनवर अंसारी का भाई अजहर अंसारी पुत्र अहमद अंसारी पता उपरोक्त तथा लालबचन यादव पुत्र अज्ञात निवासी बिशुनपुरा, सोहगरा थाना गुठनी जनपद सिवान (बिहार) छुट्टा गोवंश इकट्ठा करने में हमारी सहायता करते हैं। यह सब कार्य मुन्ना की देखरेख में ही होता है जो कि बिहार पहुंचने पर गोवंशों को व्यापारियों को बेच देता है। यह पूछने पर कि मुन्ना गोवंशों को किसे बेचते हैं तो बता रहे हैं कि साहब दो व्यापारियों का नाम हम लोग जानते हैं जिनका नाम राजू कुरैशी पुत्र अज्ञात निवासी कुरैशी मोहल्ला जनपद सिवान (बिहार) तथा अफरोज पुत्र अज्ञात निवासी हरिहास थाना हुसैनगंज जनपद सिवान (बिहार) है। इस प्रकार गोवंशों को बेचने से जो पैसा मिलता है उसे हम लोग आपस में बाट लेते हैं तथा अपने बचाव के लिये मेरा साथी मुन्ना पुत्र मुमताज अवैध तमंचा भी रखा था। साहब इस बार माफ कर दीजिये अब कभी इस कार्य को नहीं करेंगे। बरामदशुदा पिकअप के ढाले में देखा गया तो कुल 08 अदद गोवंश लदे हुए हैं, जिन्हें क्रूरता पूर्वक रस्सियों से बांधा गया है तथा गोवंशों के मुंह से छाग आ रहा है तथा आँख से आंशू बह रहे हैं। बरामद गोवंश के सम्बन्ध में कागजात मांगे जाने पर दिखाने में कासिर रहे। तत्पश्चात सभी गोवंशों को रस्सी खोलकर हमराहियान की मदद से उतारा गया। बरामदशुदा गोवंशों का हुलिया इस प्रकार है ..1.

बछड़ा रंग भूरा लाल, लम्बाई करीब 4 फीट ऊंचाई करीब 4.5 फीट, सींघ 01 इंच, पूंछ काली उम्र करीब 2 वर्ष ..2. गाय काली, लम्बाई करीब 5 फीट ऊंचाई करीब 5 फीट, सींघ 03 इंच, पूंछ काली उम्र करीब 05 वर्ष ..3. बछड़ा काला सफेद, लम्बाई करीब 4 फीट ऊंचाई करीब 4 फीट, सींघ 01 इंच, पूंछ काली उम्र 2 वर्ष ..4. बछड़ा काला रंग माथे पर सफेद, लम्बाई करीब 4 फीट ऊंचाई करीब 4 फीट, सींघ 01 इंच, पूंछ काली उम्र करीब 2 वर्ष ..5. बछड़ा काला रंग माथे पर सफेद, लम्बाई करीब 4 फीट ऊंचाई करीब 4 फीट, सीघ 01 इंच, पूंछ काली खुर सफेद उम्र करीब 2 वर्ष ..6. बछड़ा लाल रंग, लम्बाई करीब 4.5 फीट ऊंचाई करीब 4 फीट, सींघ नहीं है, पूंछ काली उम्र करीब 1.5 वर्ष ..7. गाय सफेद रंग, लम्बाई करीब 5.5 फीट ऊंचाई करीब 5 फीट, सीघ 03 इंच, पूंछ सफेद उम्र करीब 4 वर्ष ..8. बछड़ा काला सफेद रंग, लम्बाई करीब 4 फीट ऊंचाई करीब 4 फीट, सींघ 01 इंच, पूंछ काली उम्र करीब 2 वर्ष । तत्पश्चात वाहन सं0 UP52AT2928 को ई–चालान के माध्यम से चेक किया गया तो वाहन स्वामी का नाम रिंकू पुत्र चन्दन निवासी कुइया, पोस्ट टेकुआ थाना भलुअनी जनपद देवरिया तथा चेचिस नं0 MAIZN2TNKL5G11325 तथा इंजन सं0 TNL4G83213 अंकित है। पूर्णरूप से यह तस्दीक कर कि पकड़े गये व्यक्तियों द्वारा किया गया यह कृत्य अन्तर्गत धारा 3/5ए (1)/8(1) गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम का अपराध है अतः अभियुक्तगणों को अपराध बोध कराते हुए हिरासत पुलिस लिया गया । बरामदगी तथा गिरफ्तारी की कार्यवाही समय 03.05 बजे से 03.40 बजे तक की गयी। तत्पश्चात पुलिस टीम के सभी जवानों को एकत्र कर कुशल क्षेम पूछा गया तो सभी द्वारा कुशलता व्यक्त की गयी । कुछ समय पश्चात फारेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा फारेंसिक टीम द्वारा फोटोग्राफी व अन्य प्रक्रिया पूर्ण कर एक अदद तमंचा 0.315 बोर तथा 01 अदद खोखा कारतूस 0.315 बोर जो कि पिस्टल में लगा हुआ है को निकालकर व 01 अदद 0.315 बोर तथा सरकारी पिस्टल के एक खोखा कारतूस 09 एमएम जो कि कुछ दूरी पर गिरे हुए हैं को प्लास्टिक के थैली/डिब्बे में रख कर दिया गया। हुलिया तमंचा इस प्रकार है मुठिया लकड़ी की 04 अंगुल जिसके अन्दर लोहा है तथा ऊपर से दोनों तरफ से लकड़ी लोहे की पेंच से कसी गयी है, नाल लोहे की लगभग 08 अंगुल लम्बी, बाडी लोहे की घुमावदार 04 अंगुल लगभग, लोहे की दो ट्रिगर जिसमें से एक नाल को खोलने के लिये लगी है तथा दूसरी फायर करने के लिये लगी है। नाल के पीछे तमंचा काक करने के लिये लोहे की कैच लगी हुई है जिसमें आगे की तरफ हैमर पिन लगा हुआ है। मौके पर फारेंसिक टीम से प्राप्त उपरोक्त तमंचा व खोखा तथा मिसशुदा कारतूस को प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बे में रखकर सील सर्व मोहर कर, नमूना मोहर तैयार किया गया। दौराने गिरफ्तारी व बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दिये गये आदेशों निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। बरामदशुदा गोवंशों को उपचार व मेडिकल परीक्षण हेतु पशु चिकित्साधिकारी को सूचना अकब से दी गयी। गिरफ्तारी की

सूचना अभियुक्तगण के कथनानुसार जरिये उचित माध्यम दी गयी। बरामदशुदा गोवंशों को गोशाला भिजवाया गया तथा बरामद वाहन के जब्तीकरण के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही अकब से की गयी। फर्द मौके पर थानाध्यक्ष द्वारा डाक्स ऐप पर बोल बोल कर टाइप किया गया तथा का0 अजय मौर्या को थाना स्थानीय पर भेजकर फर्द को पांच प्रतियों में प्रिंट निकलवाकर, मंगवाकर सर्व सम्बन्धित को पढ़कर, सुनाकर सर्व सम्बंधित के आलामात बनवाये गये। गिरफ्तारी मेमो मौके पर ही तैयार किया गया। उक्त समस्त कार्यवाही का समय काफी नावक्त होने के कारण जनता के कोई भी गवाह उपलब्ध नहीं हो सका। फर्द की एक–एक प्रति अभियुक्तगणों को दी गयी।

**4.** आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है और आवेदक ने कोई अपराध नहीं किये है। वादी मुकदमा गलत अभिकथनो के आधार बनाकर आवेदक को अभियुक्त बना दिया है। आवेदक की प्रथम जमानत याचिका है अन्य कोई जमानत याचिका किसी भी सत्र न्यायालय मे या माननीय उच्च न्यायालय में न तो दिया गया है और नही विचाराधीन है और नही खारिज हुआ है। पुलिस की साजिश में फर्जी मुकदमा मे आवेदक को फसाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार आवेदक अपने पिकअप से गाय व बछडे को परिवहन करते समय पकडा गया है। सच्चाई यह है कि वह नित्य की भांति अपने पिकअप पर सब्जी लादकर बिहार की तरफ जाते है। घटना के दिन भी बिहार जा रहा था कि मुझे एस ओ जी के पुलिस वाले उसे सोनूघाट से पकड़कर खाली गाडी लेकर बिहार गये वहां मुसलमानो के घर जाकर फर्जी केस में चालान कराया गया जब उसकी पत्नी से फोन पर सम्पर्क कट गया तो रिन्कू देवी ने उसके गायब होने का तहरीर स्थानीय थाना भलुअनी में दिनांक 14–7–26 को दिया है। इसके बाद दिनांक 15–7–26 को पुलिस अधीक्षक महोदय को आन लाइन सूचना दिया है। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध किसी थाना में कोई अपराध पंजीकृत नहीं है आवेदक की गाड़ी को गलत जगह से पकड़कर स्थानीय थाने में बन्द किये है। सभी बरामदगी संदिग्ध है मौके पर कोई जन साक्षी नहीं है। अवैध वसूली चाह रहे थे जिसकी पूर्ति न होने पर यह फर्जी चालान किया गया है। आवेदक/अभियुक्त इसी जनपद देवरिया का रहने वाला है इसलिए जमानत के बाद भागने या फरार होने की सम्भावना नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के पास से फर्द बरामदगी फर्जी है। आवेदक/अभियुक्त जमानत व मुचलका देने को तैयार है।अतः प्रार्थना है कि आवेदक/अभियुक्त को उचित मुचलिका लेकर जमानत पर रिहा किया जावे।

**5.** अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से जमानत का घोर विरोध किया गया और कहा गया कि मामला गम्भीर प्रकृति का है। अतः उनके द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य बताया गया।

**6.** अभियोजन प्रपत्रों सहित केस डायरी के अवलोकन से विदित है कि आवेदक/अभियुक्त पर अभियोग है कि आवेदक/अभियुक्त व सह–अभियुक्त के साथ मिलकर एक दूसरे के सहयोग से पीकअप वाहन में लादकर 8 अदद बरामदशुदा गोवंशीय पशुओं को क्रूरता पूर्वक बांधकर उन्हें वध हेतु बिहार प्रान्त में ले जाकर अच्छे दामो पर बेचने के उद्देश्य से परिवहन किया जा रहा था। कथित बरामदगी का कोई जन साक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 15.07.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। राज्य की ओर से अवेदक/अभियुक्त का अपराधिक इतिहास का होना नहीं बताया गया है। अतएव मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतएव मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

आवेदक/अभियुक्त चन्दन चौरसिया का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा **एक लाख पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं उसी धनराशि की *दो स्थानीय प्रतिभू संबंधित मजिस्ट्रेट के संतुष्टि के अनुसार*** निष्पादित करने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर अवमुक्त किया जाता है।

1. आवेदक/अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्षियों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं किया जायेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

2. आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर जब–तक न्यायालय द्वारा उपस्थिति से अन्यथा छूट न दी गयी हो, प्रत्येक नियत तिथि पर उपस्थित होता रहेगा।

3. आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी पक्ष के विरुद्ध समान प्रकृति अथवा अन्य कोई अपराध कारित नहीं किया जायेगा।

Sd/–

(रवि यादव)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–3

देवरिया।

J.O.CODE.UP.6430